

दिनांक 10.03.2006 को मुख्यालय पर सम्पन्न निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

क्र 0	एजेन्डा बिन्दु	कार्यवाही/कार्यकारी आदेश
1.	उपस्थिति	संलग्न के अनुसार।
2.	सम्बोधन	<p>नोयडा में प्रस्तावित पुष्प नीलामी केन्द्र-सह-थोक मण्डी के निर्माण हेतु कार्यालय भवन के अतिरिक्त पेश कार्यों की निविदायें आमंत्रित की जा चुकी हैं। कार्य की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए निविदाएं शीघ्र स्वीकृत कराते हुए कार्य प्रारम्भ करवाया जाय। विद्युत यांत्रिक कार्यों से सम्बन्धित निविदायें 25.03.06 को आमंत्रित हैं। प्रत्येक दषा में टेण्डर करा लिया जाये।</p> <p>वाराणसी जनपद में चल रहे सम्पर्क मार्गों के निर्माण कार्यों में जनप्रतिनिधियों द्वारा मानक के अनुरूप कार्य नहीं कराये जाने की शिकायत की गई है। उपनिदेशक (नि0) वाराणसी कार्यों का सघन निरीक्षण कर जनप्रतिनिधियों की शिकायतों को दूर करें।</p>
3.	खण्डवार व्यय का विवरण	<p>मासिक प्रगति समीक्षा में पाया गया कि दिनांक 01.02.2006 को रू0 95.63 करोड़ के मण्डी कार्य, रू0 30.11 करोड़ के लोहिया ग्रामों के विकास कार्य, रू0 95.07 करोड़ के नवीन सम्पर्क मार्गों के कार्य तथा रू0 18.05 करोड़ के सम्पर्क मार्गों के मरम्मत के कार्य, कुल रू0 238.86 करोड़ के कार्य अवषेश थे जिनके सापेक्ष माह फरवरी में रू0 7.94 करोड़ मण्डी कार्यों पर, रू0 5.21 करोड़ लोहिया ग्रामों के विकास कार्यों पर, रू0 23.08 करोड़ नवीन सम्पर्क मार्गों के कार्यों पर एवं रू0 2.05 करोड़ सम्पर्क मार्गों के मरम्मत कार्यों पर अर्थात् कुल रू0 38.30 करोड़ का व्यय किया गया है। यह व्यय अवषेश कार्यों की लागत के सापेक्ष काफी कम है। निर्माण खण्ड बरेली, सहारनपुर, फैजाबाद, गाजियाबाद, कानपुर देहात, बस्ती, बाँदा, आजमगढ़, बहराइच एवं वि0/याँ0 गाजियाबाद में भुगतान की प्रगति अत्यन्त खराब है, इसमें सुधार किये जाने की आवश्यकता है।</p> <p>प्रगति से स्पष्ट है कि कार्यों को तेजी से पूर्ण कराने में दृढ़ इच्छाशक्ति का अभाव है, अतः निर्देश दिये गये कि निर्माण कार्यों में तेजी लाते हुए कार्यों को मानक के अनुरूप दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ पूर्ण किये जाने का प्रयास किया जाये ताकि अवषेश कार्य कम से कम बचें।</p>
4.	निर्माण कार्यों का निरीक्षण	<p>निरीक्षण आख्याओं की समीक्षा में पाया गया कि समस्त उपनिदेशक (नि0) द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण के समय लोहिया ग्रामों के कार्यों पर रू0 61800.00 मण्डी स्थल के कार्यों पर 70900.00 तथा सम्पर्क मार्गों के कार्यों पर रू0 394071.00 का अर्थात् कुल रू0 526771.00 की कटौती की गई एवं कुल 23 प्रकरण में अवर अभियन्ताओं एवं 17 प्रकरण में सहायक अभियन्ताओं को चेतावनी दी गई। निर्देश दिये गये कि कार्यों का और सघन निरीक्षण करें आवश्यकतानुसार कटौती भी करें।</p>
5.	लोहिया ग्राम	<p>मा0 अध्यक्ष, मण्डी परिशद द्वारा 500 लोहिया ग्राम अनुमोदित किये जा चुके हैं। अनुमोदित लोहिया ग्रामों में से 496 ग्रामों की स्वीकृतियां निर्गत की जा चुकी हैं।</p> <p>गत वर्ष स्वीकृत लोहिया ग्रामों में से बस्ती में 01 नग ग्राम में सिविल कार्य माह फरवरी, 06 तक अपूर्ण था। उपनिदेशक (नि0) बस्ती द्वारा बताया गया कि कार्य पूर्ण हो गया है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2004-05 में स्वीकृत 200 नग लोहिया ग्रामों के कार्य पूर्ण हो गये हैं।</p> <p>निर्माणाधीन ग्रामों में से 478 का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। माह फरवरी, 06 में अनुबन्धानुसार पूर्ण होने वाले ग्रामों में से 42 लोहिया ग्राम अपूर्ण हैं। निर्माण खण्ड बदायूँ ने धन की समस्या बतायी, पेश स्थानों पर कार्य समय सीमा में पूर्ण न होने को गंभीरता से लिया गया। निर्देश दिये गये कि लोहिया ग्रामों का निर्माण कार्य समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण कराने का प्रयास किया जाय।</p>
6.	अतिथि गृह	उपनिदेशक (नि0) आगरा द्वारा बताया गया कि अतिथि गृह, मथुरा,

क्र 0	एजेन्डा बिन्दु	कार्यवाही / कार्यकारी आदेश
		<p>का निर्माण कार्य मई, 06 तक पूर्ण हो जायेगा। बलरामपुर का सिविल निर्माण कार्य पूरा हो गया है। मात्र फर्नीचर आपूर्ति का कार्य पेश है। निर्देश दिये गये कि फर्नीचर की आपूर्ति कराकर शीघ्र ही अतिथि गृह क्रियाशील कराया जायें। समस्त उपनिदेशक (नि0) यह सुनिश्चित करें कि समस्त निर्मित अतिथि गृह पूर्ण होकर क्रियाशील हो जाय तथा 20.03.06 तक समस्त अतिथि गृहों के संचालित होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाये। ताकि सम्बन्धित जिलाधिकारियों को अतिथि गृह संचालित होने की सूचना भेजी जा सके जिससे उसका सदुपयोग हो सके।</p>
7.	<p>मण्डी कार्य (गत वर्ष के निर्माणाधीन कार्यों की प्रगति समीक्षा)</p>	<p>गत वर्ष के स्वीकृत 08 मण्डी स्थलों लखनऊ-1, का 01 सीतापुर-01, फिरोजाबाद-01, कानपुरषहर-01, बौदा-01, वाराणसी-01 एवं आजमगढ़-02 के विस्तार/मरम्मत के कार्य अभी भी अधूरे हैं। निर्देश दिये गये कि मार्च, 06 तक समस्त कार्य पूर्ण करा लिया जाये।</p>
8.	<p>मण्डी कार्य (इस वर्ष के निर्माणाधीन कार्यों की प्रगति समीक्षा)</p>	<p>नवीन मण्डी स्थलों में चल रहे निर्माण कार्यों को प्राथमिकता पर समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराया जाय।</p> <p>फल सब्जी मण्डी गोण्डा का निर्माण कार्य मा0 मुख्य मंत्री जी की घोशणा में है और इस घोशणा को पूर्ण कराये जाने में काफी विलम्ब हुआ है, जिसके लिये उपनिदेशक (नि0) फैजाबाद को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है फिर भी उनके स्तर पर सुधार नहीं हुआ है यह स्थिति अत्यन्त ही खेदजनक है। उपनिदेशक (नि0) फैजाबाद द्वारा बताया गया कि फल/सब्जी मण्डी गोण्डा के निर्माण हेतु अवषेश तीन कार्यों की निविदायें दिनांक 21.03.06 को आमंत्रित हैं। निर्देश दिये गये कि आमंत्रित निविदाओं को प्रयास कर अगले दिन स्वीकृत करा लिया जाय और स्थल पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जाय अन्यथा उनके खिलाफ अनुषासनिक कार्यवाही की जायेगी।</p> <p>उप निदेशक (नि0) फैजाबाद को मण्डी स्थल करनैलगंज का निर्माण कार्य दिनांक 15.04.06 तक पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये।</p> <p>उप निदेशक(नि0) फिरोजाबाद को उपमण्डी स्थल, किषनी का निर्माण कार्य माह अप्रैल, 06 तक पूरा कराने के निर्देश दिये गये।</p> <p>उपमण्डी स्थल,जसराना के निर्माण हेतु दिनांक 24.03.06 को निविदायें आमंत्रित की गई है। यह कार्य मा0 मुख्यमंत्री जी की घोशणा में सम्मिलित है। अतः अच्छी गुणवत्ता के साथ समयबद्ध रूप से निर्माण कार्य पूर्ण कराये जायें। षिथिलता क्षम्य नहीं होगी।</p> <p>उपनिदेशक(नि0) बरेली द्वारा बताया गया कि होली के बाद दिनांक 20.03.06 तक कब्जा प्राप्त कर उपमण्डी स्थल देवचरा का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराने की कार्यवाही की जायेगी।</p> <p>उपनिदेशक(नि0) बरेली द्वारा बताया गया कि उपमण्डी स्थल रिच्छा का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है, निर्देश दिये गये और द्रुत गति से कार्य कराया जाये।</p> <p>उपनिदेशक(नि0) वाराणसी को चन्दौली मण्डी स्थल का कब्जा प्राप्त कर दिनांक 20.03.06 तक निर्माण कार्य प्रारम्भ कराने के निर्देश दिये गये।</p> <p>उपनिदेशक(नि0) लखनऊ-3 द्वारा बताया गया कि दिनांक 18.03.06 को अपना बाजार के विस्तार एवं सुदृढीकरण हेतु निविदायें आमंत्रित हैं। निर्देश दिये गये कि निर्माण कार्य का बार चार्ट बनाकर प्रस्तुत करें।</p> <p>उपनिदेशक(नि0) बस्ती द्वारा अवगत कराया गया कि नवीन मण्डी स्थल, नौगढ़ के निर्माण हेतु दिनांक 30.03.06 को निविदायें आमंत्रित हैं।</p> <p>अतिरिक्त फल सब्जी मण्डी स्थल, फर्रुखाबाद में भूमि का कब्जा दि0 20.03.06 तक प्राप्त करने के निर्देश उप निदेशक (नि0) फर्रुखाबाद को दिये गये।</p> <p>नवीन मण्डी स्थल, मुस्करा में भूमि का कब्जा दिनांक 20.03.06 तक प्राप्त करने के निर्देश दिये गये।</p>

क्र 0	एजेन्डा बिन्दु	कार्यवाही / कार्यकारी आदेश
		<p>उप निदेशक (नि0) मिर्जापुर द्वारा मिर्जापुर मण्डी स्थल का निर्माण कार्य मार्च, 06 तक पूर्ण हो जाने का आश्वासन दिया गया।</p> <p>उप निदेशक (नि0) कानपुरशहर द्वारा अतिरिक्त मण्डी स्थल, भौती कानपुर का निर्माण कार्य माह अक्टूबर, 06 तक पूर्ण कराने का आश्वासन दिया गया।</p> <p>उप मण्डी स्थल, मऊ का निर्माण कार्य दिनांक 15.04.2006 तक पूर्ण कराने के निर्देश उपनिदेशक (नि0) आजमगढ़ के प्रतिनिधि सहायक अभियन्ता को दिये गये।</p> <p>उप निदेशक (नि0) लखनऊ-2 को मण्डी स्थल, रूदौली में चल रहे निर्माण कार्य को दिनांक 15.06.06 तक पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये।</p> <p>नवीन मण्डी स्थल, बाराबंकी के निर्माण कार्य में तेजी लाते हुए कार्य समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिये गये। उपनिदेशक (नि0) इसका बार चार्ट बनाकर प्रस्तुत करें।</p> <p>उप निदेशक (नि0) बुलन्दशहर को उपमण्डी स्थल, औरंगाबाद में निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराने हेतु निर्देश दिये गये।</p>
9.	सम्पर्क मार्ग (नवीन/मरम्मत) की प्रगति समीक्षा	<p>गत वर्ष के नवीन स्वीकृत सम्पर्क मार्गों में से 32 नग सम्पर्क मार्गों तथा मरम्मत के मार्गों में से 03 नग मार्गों का निर्माण कार्य अपूर्ण है। आजमगढ़ को छोड़कर शेष उपनिदेशक (नि0) द्वारा आश्वासन दिया गया कि समस्त कार्य 30 मार्च, 06 तक पूर्ण हो जायेंगे। उपनिदेशक (नि0) आजमगढ़ अस्वस्थता के कारण बैठक में उपस्थित नहीं हो सके, उनके स्थान पर उपस्थित सहायक अभियन्ता भी कुछ बताने में असमर्थ रहे। प्रगति विवरण से प्रतीत होता है कि अवशेष 04 नवीन व 01 मरम्मत का निर्माण कार्य माह मार्च में पूर्ण होने की स्थिति में नहीं हैं। उपनिदेशक (नि0) आजमगढ़ को मुख्य अभियन्ता अपने स्तर से चेतावनी निर्गत करें।</p> <p>वित्तीय वर्ष 2005-06 में स्वीकृत नवीन सम्पर्क मार्गों में से अनुबन्ध के अनुसार माह फरवरी, में पूर्ण होने वाले कार्यों में से 164 कार्य पूर्ण नहीं हो सके हैं। इसी प्रकार 34 नग मरम्मत के सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका है। सम्बन्धित उपनिदेशक (निर्माण) निरीक्षण के समय यह अवष्य सुनिश्चित किया करें कि अनुबन्ध में दी गई समय सीमा के अन्तर्गत निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाये, यदि इसमें कोई षिथिलता पाई जाये तो सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म एवं सम्बन्धित अभियन्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही की जाये।</p>
10.	दुग्ध मण्डी	<p>दुग्ध मण्डी, लखनऊ (सीतापुर रोड), कानपुर तथा वाराणसी का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। निर्देश दिये गये कि इन मण्डियों को दिनांक 30.03.2006 तक क्रियाशील करने का प्रयास किया जाये।</p> <p>उपनिदेशक(नि0) गोरखपुर द्वारा बताया गया कि दुग्ध मण्डी का निर्माण कार्य दिनांक 30.06.2006 तक पूर्ण करा लिया जायेगा।</p> <p>उपनिदेशक (नि0) लखनऊ-3 द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद रायबरेली में दुग्ध मण्डी का कार्य माह मई, 06 तक पूर्ण करा लिया जायेगा।</p> <p>दुग्ध मण्डियों को क्रियाशील करने तथा संचालन प्रक्रिया के लिये एक प्रस्ताव मा0 परिशद की आगामी बैठक में रखा जाना है। उपनिदेशक (नि0) लखनऊ-1 को विपणन-3 से समन्वय करके प्रस्ताव तैयार कराने के निर्देश दिये गये।</p>
11.	भूमि अधिग्रहण प्रगति।	<p>गढ़मुक्तेश्वर में धारा 6/17 की कार्यवाही मार्च, 06 तक पूर्ण कराने के निर्देश उपनिदेशक (नि0) को दिये गये।</p> <p>छुटमलपुर में धारा 4/17 की कार्यवाही कराकर 15.04.2006 तक धारा 6/17 की कार्यवाही कराने का प्रयास सम्बन्धित उपनिदेशक(निर्माण) करें।</p> <p>नवीन मण्डी स्थल, अकबरपुर की धारा 4/17 की अधिसूचना निर्गत हो गयी है। उपनिदेशक (नि0) 26 मार्च, 06 तक धारा 6/17 की कार्यवाही पूर्ण कराने का प्रयास करें।</p>

क्र०	एजेन्डा बिन्दु	कार्यवाही / कार्यकारी आदेश
		<p>उपमण्डी स्थल कुरावली की धारा 6/17 की कार्यवाही दिनांक 28.03.06 तक पूर्ण कराने हेतु उपनिदेशक (नि०) प्रयास करें।</p> <p>मण्डी स्थल, खागा के सम्बन्ध में उपनिदेशक (नि०) द्वारा बताया गया कि धारा 4/17 जारी हो चुकी है। निर्देश दिये गये कि 20.04.06 तक धारा 6/17 की कार्यवाही पूर्ण कराने का प्रयास किया जाये।</p> <p>मण्डी स्थल, बिजनौर के सम्बन्ध में उपनिदेशक (नि०) को निर्देश दिये गये कि षासन के आवास विभाग से समन्वय कर षीघ्र कार्यवाही पूर्ण करायें।</p>
12.	मण्डी स्थलों / उपमण्डी स्थलों में पेयजल की आपूर्ति	<p>सं० उप निदेशक (प्रशासन) एवं मण्डी सचिवों की बैठक में विभिन्न नवीन मण्डी / उपमण्डी स्थलों में पेयजल एवं अन्य समस्याओं से सम्बन्धित लिखित एवं मौखिक रूप से प्राप्त समस्याओं का विवरण संलग्न है। समस्त उपनिदेशक (नि०) को निर्देश दिये गये कि वे सं० उपनिदेशक (प्रशासन) एवं मण्डी समिति के सचिव से सम्पर्क कर निर्माण सम्बन्धी कठिनाइयों का निराकरण करायें। पेय जल आपूर्ति एवं प्रकाष की समस्या का निराकरण प्राथमिकता पर किया जाय।</p>
13.	लैण्ड बैंक	<p>उपनिदेशक (निर्माण) झांसी द्वारा अवगत कराया गया है कि झांसी में अतिरिक्त मण्डी हेतु 20 एकड़ भूमि का चयन हो गया है। वाराणसी में भी भूमि तलाष की जा रही है।</p> <p>उपनिदेशक (नि०) बहराइच को निर्देश दिये गये कि वे सं० उपनिदेशक (प्रशासन) फैजाबाद से सम्पर्क कर बहराइच में अतिरिक्त मण्डी हेतु भूमि चयन की अग्रेतर कार्यवाही सम्पन्न करायें।</p>
14.	अन्य निर्देश	<p>समीक्षा के दौरान निम्न निर्देश दिये गये :-</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ जिन जिलों में एक भी मण्डी स्थल नहीं बने हैं, वहाँ पर मण्डी / उपमण्डी बनाने हेतु भूमि के चयन हेतु कार्यवाही की जाय। ➤ प्रदेश के घनी आबादी वाले षहरों में तेजी से बढ़ते व्यापारिक गतिविधियों को देखते हुए वहाँ पर अतिरिक्त मण्डी स्थल निर्माण हेतु भूमि आरक्षित कराये जाने की आवश्यकता है। अतः बड़े षहरों में 25 से 50 एकड़ भूमि तलाषने की कार्यवाही तत्काल प्रारम्भ कराई जाय, ताकि लैण्ड बैंक बनाया जा सके। ➤ समस्त निर्माणाधीन कार्यों को सघन निरीक्षण करते हुए कार्यों में गति प्रदान करें तथा समयबद्ध रूप से कार्य पूर्ण करायें। ➤ सुलभ षौचालय के निर्माण हेतु संस्था को जो षर्तें भेजी गयी है उसमें संस्था के प्रतिनिधियों से वार्ता करके उसको षीघ्र अन्तिम रूप दिया जाय। ➤ सम्पर्क मार्ग निर्माण में क्वेरी से पत्थर की आपूर्ति में होने वाली कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए कई उपनिदेशक (नि०) द्वारा यह कहा गया कि पी०डब्लू०डी० द्वारा उक्त कठिनाइयों के कारण उनके स्तर से बनाये जाने वाले मार्गों का स्पेष्ीफिकेशन में बदलाव किया गया है। अतः मुख्य अभियन्ता की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाये जिसमें अधीक्षण अभियन्ता एवं सम्बन्धित उपनिदेशक (नि०) को भी सम्मिलित किया जाये जो मण्डी परिषद के अधीन बन रहे सम्पर्क मार्गों के स्पेष्ीफिकेशन बदलाव के सम्बन्ध में अपना अभिमत प्रस्तुत करें। ➤ उपनिदेशक (निर्माण) के धन माँग पर त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। ➤ मण्डी स्थलों एवं उपमण्डी स्थलों की परियोजनायें निर्माणाधीन हैं, उसके सम्बन्ध में सम्बन्धित उपनिदेशक (नि०) वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का बार चार्ट तैयार कर लें एवं तदनुसार पालन करें। इस सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता अपने स्तर पर उप निदेशक (नि०) की समीक्षा बैठक से पूर्व सम्बन्धित उपनिदेशक (नि०) के साथ बैठक कर लिया करें, ताकि उसकी प्रगति की समीक्षा की जा सके। ➤ बैठक में उप निदेशक (नि०) बाँदा, आजमगढ़ फिरोजाबाद, बरेली,

क्र०	एजेन्डा बिन्दु	कार्यवाही / कार्यकारी आदेश
		<p>वाराणसी एवं सीतापुर द्वारा मण्डी स्थल के कार्यों से सम्बन्धित कुछ परियोजनायें महत्वपूर्ण बतायी गईं। निर्देश दिये गये कि इनको शीघ्र प्रस्तुत कर स्वीकृत करा लिया जाय।</p> <p>➤ गर्मी के सीजन में मण्डी स्थलों में पेयजल की समस्या न रहे, अतः अभी से हैण्ड पम्पों को क्रियाशील कर लिया जाय। इन छुट-पुट कार्यों हेतु परिशद पत्रांक—मु० अभि०(1464)/98—3851 दिनांक 09 अक्टूबर, 1998 से पूर्व में निर्देश निर्गत है जिसके आधार पर कार्यवाही पूर्ण की जाय।</p> <p>➤ उप निदेशक (नि०) सहारनपुर द्वारा बताया गया कि गेस्ट हाउस के रख-रखाव हेतु रू० 2000.00 की धनराशि स्वीकृत किये जाने में सं० लेखाधिकारी, द्वारा आपत्ति की जा रही है। निर्देश दिये गये कि वित्त नियन्त्रक इसका समाधान कराकर अपनी संस्तुति उपलब्ध करायें।</p>

अन्त में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

(ड० रजनीष दुबे)
मण्डी निदेशक

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिशद, उ०प्र०
किसान मण्डी भवन, गोमती नगर, लखनऊ।

पत्रांक: मु०अभि०/बैठक/2006—

दिनांक : 2006

प्रतिलिपि — निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. श्री सत्येन्द्र तिवारी, कम्प्यूटर प्रोग्रामर को परिशद पत्रांक क०से०/वेब साइट/2006—1054 दिनांक 03 फरवरी, 2006 के क्रम में एक हार्ड एवं साफ्ट कापी सहित इस निर्देश के साथ कि तत्काल इसे परिशद के वेब साइट पर नचउंदकपचंतर्षौकण पद पर डालने का कश्ट करें।
2. उपनिदेशक(प्र०—वी०)/(एच०) मण्डी परिशद मुख्यालय।
3. अधीक्षण अभियन्ता मण्डी परिशद, मुख्यालय।
4. समस्त अधिकारी, मण्डी परिशद मुख्यालय।
5. निजी सचिव, निदेशक/ अपर निदेशक (प्र०)/ वित्त नियंत्रक, मण्डी परिशद।
6. आदेश/गार्ड फाइल।

(चक्रपाणि)
अपर निदेशक (प्रशासन)

**दिनांक 10.03.2006 को विकास कार्यो की समीक्षा बैठक में उपस्थिति
अधिकारीगण**

क्र०	नाम सर्व श्री-	पद नाम
1.	डा० रजनीष दुबे	मण्डी निदेशक
2.	चक्रपाणि	अपर निदेशक (प्रशासन)
3.	एम०ए०सिद्दीकी	वित्त नियंत्रक
4.	हर्ष वर्धन	मुख्य अभियन्ता
5.	उदय प्रताप सिंह	अधीक्षण अभियन्ता
6.	राधेष्माम शर्मा	उपनिदेशक (निर्माण) मुख्यालय
7.	अनिरुद्ध	उपनिदेशक (निर्माण) मुख्यालय
8.	अमर नाथ नकरा	उपनिदेशक (निर्माण) मुख्यालय
9.	एस०एन० मिश्र	उपनिदेशक (निर्माण) लखनऊ-1
10.	पवन कुमार	उपनिदेशक (निर्माण) लखनऊ-2
11.	अशोक कुमार	उपनिदेशक (निर्माण) अनुरक्षण खण्ड
12.	एस०आर० सक्सेना	उपनिदेशक (निर्माण) लखनऊ-3
13.	जे० के० सिंह	उपनिदेशक (निर्माण) बुलन्दशहर
14.	तदैव	उपनिदेशक (निर्माण) गाजियाबाद
15.	अतर सिंह	उपनिदेशक (निर्माण) कानपुर देहात
16.	वी०पी० सिंह	उपनिदेशक (निर्माण) मुरादाबाद
17.	एस०एन०पी० यादव	उपनिदेशक (निर्माण) बदायूँ
18.	आर०एस० त्यागी	उपनिदेशक (निर्माण) सहारनपुर
19.	ए०के० कपूर	उपनिदेशक (निर्माण) वाराणसी
20.	वी०के० सक्सेना	उपनिदेशक (निर्माण) पीलीभीत
21.	हाकिम सिंह	उपनिदेशक (निर्माण) फिरोजाबाद
22.	सत्य प्रकाश	उपनिदेशक (निर्माण) अलीगढ़
23.	गोपाल शंकर	उपनिदेशक (निर्माण) फर्रुखाबाद
24.	रघुवीर शर्मा	उपनिदेशक (निर्माण) बरेली
25.	आर० सी० वर्मा	उपनिदेशक (निर्माण) षाहजहाँपुर
26.	हरी राम	उपनिदेशक (निर्माण) रामपुर
27.	हाकिम सिंह	उपनिदेशक (निर्माण) आगरा
28.	बी०एन०शर्मा	उपनिदेशक (निर्माण) गोरखपुर
29.	तदैव	उपनिदेशक (निर्माण) बस्ती
30.	पी० सी० जैन	उपनिदेशक (निर्माण) इलाहाबाद
31.	राम सिंह	उपनिदेशक (निर्माण) फैजाबाद
32.	शिव बहादुर	उपनिदेशक (निर्माण) बहराइच
33.	सुबोध चन्द्र मिश्र	उपनिदेशक (निर्माण) मेरठ
34.	आर०एस० वर्मा	उपनिदेशक (निर्माण) झाँसी
35.	तदैव	उपनिदेशक (निर्माण) बाँदा
36.	आर०एस० यादव	उपनिदेशक (निर्माण) सीतापुर
37.	बी०आर० सिंह	उपनिदेशक (निर्माण) कानपुर नगर
38.	आर० बी० सिंह	उपनिदेशक (निर्माण) मिर्जापुर
39.	बी० आर० यादव	उपनिदेशक (वि० / या०)
40.	एल० के० गुप्ता	उपनिदेशक (वि० / या०)
41.	अवधेश सिंह	उपनिदेशक (वि० / या०)
42.	ए० के० सिंह	उपनिदेशक (वि० / या०)
43.	बी०के० कटियार	सहायक अभियन्ता सुल्तानपुर

44.	बी0एल0वर्मा	सहायक अभियन्ता	आजमगढ़
45.	आर0के0 पाण्डेय	सहायक अभियन्ता	मुख्यालय
46.	आर0सी0 चौधरी	सहायक अभियन्ता	मुख्यालय
47.	टी0के0बोस	अनुभाग अधिकारी	निर्माण अनुभाग
48.	डी0पी0 जायसवाल	अनुभाग अधिकारी	निर्माण अनुभाग